

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/29/ए/2009/656
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/9/09

कलेक्टर,
जिला-भोपाल,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्राप्त पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती उपासना गुप्ता वरिष्ठ अध्यापक (गौप्य) शा.उ.मावे. मालीखेडी जिला भोपाल	जा.क्र. 2430 दि. 18.08.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई करने का कष्ट करे।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/9/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/29/ए/2009/657
प्रतिलिपि :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2- तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/31/ए/2009/658
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/9/09

कलेक्टर,
जिला-श्यापुर एवं राजगढ़,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयगत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा. मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	सौ. ज्योति भटजीवाले सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बोदाखेडली जिला श्यापुर	जा.क्र. 2173 दि. 01.08.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।
2	श्रीमती जया देवी गौड़ सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. नेसडी जिला राजगढ़	जा.क्र. 2221 दि. 04.08.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/31/ए/2009/657
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 10/9/09


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/28/ए/2009/660
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/9/09

कलेक्टर,
जिला-सीहोर,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टी.प में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	अवर सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती लता विश्वदर्मा सहायक अध्यापक शा.बा.मा.वि. झालकी जिला सीहोर	जा.क्र 909 दि. 11.08.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 10/9/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/28/ए/2009/661
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.